181
2319 — 7 JAN 2012

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 132341

स्टाम्प रूपये – 8500/–

प्लाट के प्रीमियम की राशि रूपये :– 1,44,319/–
सालाना लीज का आकार रूपये :– 2,886/–

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी , इन्दौर
प्राधिकरण भवन 7, रेसकोर्स रोड़, इन्दौर

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 103 इन्दौर के भूखण्ड क्रमांक 262–बी का लीजडीड

संदर्भ क्रमांक :– **1 0 3 2 3 2 4 3**

जावक क्रमाक 32
दिनाक – 5 JAN 2012

इन्दौर विकास प्राधिकारी तथा शर्मदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर के मध्य प्राधीकारी के सकल्प क्रमाक 9 दिनांक 31.01.86 के अंतर्गत निष्पादित अनुबंध दिनांक 28,06.1997 में निहित शर्तो के अनुसार संस्था द्वारा अपने सदस्यों को भूखण्ड आवंटन एवं लीजडीड पंजीयन करने हेतु सूचित किया होने से योजना क्रमांक **103** का भूखण्ड क्रमांक **262–बी** का कब्जा प्राधिकारी द्वारा दिनांक **20.07.11** को **श्रीमती प्रेमलता पति श्री मोहनलाल जी** निवासी **7, नृसिंग बाजार**, इन्दौर म.प्र. (जो कि उक्त संस्था के सदस्य है) को प्रथम 30 वर्ष के लिये इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा लीज पर आवंटित कर उसका कब्जा सौपा जा चुका है। उक्त भूखण्ड की चतुः सीमा निम्नानुसार है तथा उसे संलग्न साईट प्लान में लाल रंग की रेखाओ से दर्शाया गया है। उक्त भूखण्ड सामने **9.00** मीटर, पीछे **9.00** मीटर, एक बाजू **15.00** मीटर, दूसरी बाजू **15.00** मीटर के नाप का होकर प्लाट का कुल क्षेत्रफल **135.00** वर्गमीटर है।

.......2.

प्रेमलता

संपदा अधिकारी ग्रेड–2,
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

1217 [illegible]
17/11/2011

5000/7 500/7, 8500

प्रथम पक्ष इन्दौर विकास प्राधिकरण [illegible]

[illegible]

द्वितीय पक्ष श्रीमती प्रेमलता पति मोहनलाल

निवासी [illegible]

[illegible]

[illegible]

देवेन्द्र [illegible]
स्टॉम्प वेन्डर (M) 0302520300
17, राजस्वग्राम कॉलोनी, छत्रीबाग, इन्दौर

मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क	7938/-
नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क	
पंचायत अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क	397/-
उपकर अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क	
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	165/-
नॉन स्टाम्प	
योग	8500/-

उप पंजीयक, इन्दौर

श्रीमती प्रेमलता पति मोहनलाल

द्वारा उप जिला इन्दौर
जिला इन्दौर के उप पंजीयक 07/01/12
कार्यालय में तारीख 3/10 को
को म. पु./न.प. ...
प्रस्तुत किया गया।

उप पंजीयक इन्दौर

प्रेमलता

रसीद दस्तावेज वगैरह 73

मुकाम 2373

दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
2	3	4
प्रेमलता प्रीमि 144319 2886	6400–	

तारीख 07 JAN 2012 उप-पंजीयक

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES Rs. 500

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH A 981787

:: प्लाट की चतुः सीमा ::

पूर्व में	:–	भूखण्ड क्रमांक बी–261 योजना क्रमांक 103
पश्चिम में	:–	भूखण्ड क्रमांक बी–263 योजना क्रमांक 103
उत्तर में	:–	18.00 मीटर वाईड रोड
दक्षिण में	:–	भूखण्ड़ क्रमांक बी–251 योजना क्रमांक 103

उक्त चतुः सीमा के बीच की **135.00** वर्गमीटर भूमि का प्रीमियम रूपये **1,44,319/–** (अक्षरी रूपये **एक लाख चवालीस हजार तीन सौ उन्नीस** मात्र) निर्धारित किया है तथा प्रीमियम की राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से लीजरेंट रूपये **2886/–** (अक्षरी रूपये **दो हजार आठ सौ छियासी** रूपये मात्र) निर्धारित किया है।

भूखण्ड प्राधिकारी की सामान्य शर्तो पर 30 वर्षो की लीज पर रहवासी उपयोग के लिए दिया गया है तथा लीजरेंट की राशि लीजगृहिता द्वारा प्रति वर्ष अग्रिम देय है। प्रीमियम की राशि तथा प्रथम वर्ष का लीजरेन्ट लीजगृहिता द्वारा उपरोक्त गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा प्राधिकारी कार्यालय में जमा किया जा चुका है ।

:– शर्ते –:

1. उपरोक्त भूखण्ड प्राधिकारी द्वारा प्रथमतः 30 वर्ष की लीज पर लीजगृहिता को आवासीय उपयोग हेतु आवंटित किया गया है, उसके बाद सदरलीज का नवीनीकरण 30–30 वर्ष की अवधि के लिए दो बार किया जा सकेगा । प्रत्येक नवीनीकरण के समय 50 प्रतिशत तक लीजरेंट प्रत्येक बार प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकेगा । प्रत्येक नवीनीकरण के समय प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह ऐसी अतिरिक्त शर्ते/ नियम /विनियम आरोपित करें या वर्तमान शर्तो मे संशोधन करे जो वह उचित समझे।

.....3....

प्रेमलता

संपदा अधिकारी ग्रेड–2,
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

1218
17/11/2011

(7)

21 OCT 2011

(ब) श्रीमती प्रेमलता पति मोहनलाल
7 नृसिंग बाजार, इंदौर

देवेन्द्र वाघमारे
स्टॉम्प वेन्डर (M) 9302529300
17, राजस्वग्राम कॉलोनी, छत्रीबाग, इन्दौर

लीजडीड

(1) मोहनलाल पिता प्रहलाददास
7 नृसिंग बाजार, इंदौर
(2) गोविन्द पिता प्रहलाददास
[illegible] नगर, इंदौर

7/01/12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH A 981788

1–ए. लीजडीड की प्रथम अवधि दिनांक 20.07.2011 से प्रारंभ होकर दिनांक 19.07.2041 तक कुल 30 वर्ष तक रहेगी। इस अवधि के पश्चात प्राधिकारी द्वारा यदि लीजडीड की अवधि आगामी 30 वर्ष के लिये बढ़ायी जाती है तो लीजगृहिता द्वारा स्वयं के व्यय पर नया लीज विलेख/लीजडीड निष्पादित करवाकर उसे विधिवत् पंजीकृत किराया जाना लीजगृहिता पर बंधनकारक रहेगा ।

2. यह कि, उक्त भूखण्ड का कब्जा दिनांक 20.07.2011 को मौके से प्राप्त किया गया है। लीजगृहिता भूखण्ड के कब्जा प्राप्ति के दिनांक से 6 माह की अवधि में भवन निर्माण का नक्शा नगर निगम से स्वीकृत करवाकर स्वीकृत नक्षे की एक प्रति भवन निर्माण प्रांरभ करने से पूर्व प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार कब्जा प्राप्ति के दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण करके उसकी लिखीत सूचना भी प्राधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। नक्षा स्वीकृत किए बिना कोई भी निर्माण कार्य लीजगृहिता द्वारा नही किया जावेगा तथा ऐसा प्रत्येक निर्माण कार्य जो स्वीकृत नक्षे के विपरीत हुआ है उसे अनाधिकृत माना जावेगा । निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण नही होने पर लीज निरस्त कर पुनः प्रवेश का अधिकार प्राधिकारी को रहेगा । भवन निर्माण का नक्षा भूखंड के आवटन आदेश तथा लीजडीड में उल्लेखित प्रयोजन के अनुरूप होना अनिवार्य है । कब्जा देने के दिनांक से लीजगृहिता भूखंड के संरक्षण के लिए स्वंय उत्तरदायी रहेगा । इस प्रकार आवासीय उपयोग के विरूद्ध किा गया उपयोग आवंटन की शर्तो का उल्लंघन माना जाकर प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा ।

3. यह कि आवंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण एवं उपयोग समय समय पर प्रभावशील एवं प्रचलित इन्दौर नगर के मास्टर प्लान: (अंगीकृत विकास योजना) झोनल प्लान एवं झोनिंग रेग्यूलेशन एवं भूमि विकास नियम के प्रावधानो के अंतर्गत स्वीकार्य प्राप्त करने एवं अन्य कार्यवाही करने का दायित्व लीजगृहिता का रहेगा ।

.....4..

प्रेमलता

संपदा अधिकारी ग्रेड–2,
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

1219
13/11/2011

... बालमुकुन्दजी पाण्डे ...
... इन्दौर ... ग्राम मु. क्र.
2/10-10-06 ... मु. क्रमांक
14/7 ... मु. क्र. A4/350 ग है
... पंजीयक कार्यो ... बी. एल. रखया
सम्पदा अधि. ... वर्ग II
बी ए. एल. ... बी. एस
... श्री ... एल. ... श्री के. के. ...
... स्टाम्प शुल्क अधिप्रमाणित 2006 ...

21 OCT 2011

देवेन्द्र वाघमारे
स्टॉम्प वेन्डर (M) 9302529300
17, राजस्वग्राम कॉलोनी, छत्रीबाग, इन्दौर

अनुराधा ... 7/01/12
... निष्पादन ...
... किया गया।

प्रेमलता ... 07/01/12
... निष्पादन ...
... किया गया।

प्रेमलता

गोविन्द

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH A 981789

4. यह कि इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना में पानी की सप्लाई हेतु बाहरी पाईप लाईन की व्यवस्था अपने खर्चे से करेगा, किन्तु भवनों के अंदर लीजगृहिता चाहे तो उसकी लागत पर पाईप कनेक्शन दिया जावेगा उक्त लागत इन्दौर विकास प्राधिकारी के इंजीनियर द्वारा निश्चित की जावेगी । पानी सप्लाई में रूकावट या किसी कारण से सप्लाई नही हो पाने पर लीजगृहिता इन्दौर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध किसी प्रकार का क्लेम करने का अधिकारी नही होगा ।

5. यह कि लीजगृहिता को प्रतिवर्ष का देय लीजरेंट निर्धारित तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करना होगा । लीजरेंट एवं भूखण्ड की अन्य कोई भी देय राशि 6 माह से अधिक समय तक बकाया रहने पर प्राधिकारी को लीज निरस्त करने का एव बकाया राशि भू–राजस्व के रूप में वसूल करने का अधिकार होगा ।

6. यदि लीजगृहिता आवंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण एवं उपयोग उपरोक्त शर्तो के अंतर्गत स्वीकार्य उद्देश्य हेतु करने में असमर्थ रहता है तो उसे भूखण्ड प्राधिकारी को समर्पित करना होगा । ऐस स्थिति में प्रीमियम की जो रकम जमा की गई है, उसमें से 20 प्रतिशत रकम काटकर शेष रकम प्राधिकारी द्वारा लीजगृहिता को वापस की जा सकेगी । लीजरेंट की रकम किसी भी परिस्थिति में वापस नही की जावेगी ।

7. यह कि प्लाट पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण किए बिना उक्त प्लाट को लीजगृहिता द्वारा किसी प्रकार से हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं होगा। प्लाट पर भवन निर्माण हेतु प्लाट किसी वित्तीय संस्था, बैक इत्यादित के पास यदि गिरवी रखना आवश्यक हो तो उसके लिए लीजगृहिता द्वारा प्राधिकारी को आवेदन करने का पर इसके लिए नियमानुसार शुल्क जमा करने पर तथा प्रतिवर्ष लीजरेंट जमा करने का भार सर्वोपरि रखने की शर्त पर इजाजत दी जा सकेगी ।

......5....

प्रेमलता

1220
12/11/2011

देवेन्द्र वाघमारे
स्टॉम्प वेन्डर (M) 9302529300
17, राजस्वग्राम कॉलोनी, छत्रीबाग, इन्दौर

उप पन्जीयक कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

7 - JAN 2012

2319

दस्तावेज क्र. A1/..............(16)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 981790

8. यह कि, लीजगृहिता को प्लाट एवं उस पर निर्मित मकान का गंदा पानी भूमिगत गटर से संबंद्ध करना होगा एवं उसके लिए नियमानुसार कनेक्शन चार्जेस प्राधिकारी को जमा करना होगे। जहां भूमिगत गटर चालू नही है वहां लीजगृहिता स्वयं से सेप्टिक टेंक का निर्माण करेगा। इसी प्रकार लीजगृहिता को नल कनेक्शन भी नियमानुसार नगर निगम से प्राप्त करना होगा ।

9. यह कि, लीगृहिता द्वारा प्लाट पर बगैर सक्षम अधिकारी के स्वीकृति कुँआं आदि नही खोद सकेगा ।

10. यह कि लीजगृहिता शासकीय कर, डायवर्शन टेक्स एवं डायवर्शन प्रीमियम देय एवं नगर निगम को कर तथा अन्य कर नियमानुसार समय समय पर अदा करेगा।

11. यह कि, लीजगृहिता प्लॉट पर अथवा प्लाट पर निर्मित भवन पर घास, भूसा, रूई, लकड़ी, कोयला इत्यादि । सहज में आग पकड़ने वाली वस्तुएं एकत्रित नही कर सकेगा।

12.अ यह कि आवंटित भूखंड मय भवन के किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करता है तो विक्रय के पूर्व प्राधिकारी में नियमानुसार हस्तातरण शुल्क जमा कराकर विक्रय की अनुमति प्राप्त करेगा । प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बगैर विक्रय क्रिया जाता है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार देय हस्तांतरण शुल्क के बराबर ही पेनल्टी देय होगी ।

ब. आबंटन दिनांक से एक वर्ष तक भूखण्ड का विक्रय नही किया जा सकेगा एवं आवंटन दिनांक से एक वर्ष पश्चात ही हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकेगी।

13. यह कि लीजगृहिता प्लाट की नप्ती पुनः करना चाहे तो उसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।

.......6....

प्रेमलता

संपदा अधिकारी ग्रेड–2,
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

1221
17/11/2011

रुक्मणी

21 OCT 2011

देवेन्द्र वाघमारे
स्टॉम्प वेन्डर (M) 9302529200
17, राजस्वग्राम कॉलोनी, छत्रीबाग, इन्दौर

उप पन्जीयक कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
17 - JAN 2012
2319
दस्तावेज क्र. A1/..........(16)

प्रेमलता

गोविन्द

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 981791

14. यह कि, लीजगृहिता लीजडीड का रजिस्ट्रेशन आवश्यक स्टाम्प पर अपने खर्चे से करवाएगा तथा रजिस्ट्रेशन के पश्चात रजिस्टर्ड लीजडीड की फोटोकापी 30 दिन के अंदर प्राधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा ।

15. यह कि लीज की समाप्ति के लिए लीज की मासिक अवधि की मानकर 15 दिन की अवधि के सूचना पत्र द्वारा लीज समाप्त किया जा सकेगा।

16. यह कि उक्त शर्तो के अतिरिक्त मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत बने व्ययन नियमों तथा प्राधिकारी द्वारा निर्मित संपत्ति के अंतरण एवं व्ययन नियम जो वर्तमान में प्रचलित है का लीजगृहिता को ज्ञान है एवं ये समस्त शर्ते लीजगृहिता पर बधनकारक है । शासन एवं प्राधिकारी द्वारा भविष्य में समय समय पर नियमों एवं विनियमों में किए गए संशोधन भी लीजगृहिता पर बंधनकारक होगे और उसका पालन लीजगृहिता को करना होगा ।

17. यह कि किसी भी शर्त का उल्लंघन लीजगृहिता द्वारा किए जाने पर लीज निरस्त की जावेगी एवं प्रीमियम की जो भी रकम होगी वह प्राधिकारी द्वारा जप्त की जावेगी एवं उक्त प्लॉट पेटे जमा लीज की रकम किसी भी परिस्थिति में वापस नही लौटाई जावेगी।

18. यह कि, लीजरेंट अथवा कोई भी मांग किसी भी समय बकाया रहने पर एवं उक्त लीजरेंट या मांग देय दिनांक से एक केलेण्डर माह पश्चात तक जमा नही करने अथवा उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने या पालन नही करने की दशा में उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने या पालन नही करने की दशा में उपरोक्त शर्तो के अलावा भी प्राधिकारी को भूखण्ड पर पुनः प्रवेश का अधिकारी होगा, मानो यह लीजडीड संपादन नही की गई हो, प्राधिकारी को ऐसी स्थिति में पुनः प्रवेश की तिथि से 3 माह पश्चात भूखण्ड पर के समस्त भवन एवं निर्माण कार्य हटाने का अधिकार होगा ।

.......7.......

प्रेमलता

संपदा अधिकारी ग्रेड–2,
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौ

1222
17/1/2011

देवेन्द्र वाघमारे
स्टॉम्प वेन्डर (M) 9302529300
17, राजस्थान कॉलोनी, छत्रीबाग, इन्दौर

उप पन्जीयक कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
7 - JAN 2012
2319
दस्तावेज क्र. A1/............(16)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH A 981792

19. प्रीमियम की राशि का निर्धारण वर्तमान विकास लागत, भूमि मुआवजा आदि मदों का समावेश करते हुए किया गया है । शासन के आदेश क्रमाक एफ–3/39/32/85 दिनांक 02.07.1997 द्वारा बाह्य विकास शुल्क संबंधी आदेश दिनांक 28.11.1985 स्थगित कर दिया होने से भूखण्डो की प्रीमियम में बाह्य विकास शुल्क की राशि सम्मिलित नहीं की गई है, किन्तु भविष्य में शासन आदेश दिनांक 2/7/1997 शासन द्वारा समाप्त किए जाने की स्थिति में बाह्य विकास शुल्क की राशि भूखण्डो की प्रीमियम में सम्मिलित की जावेगी । इसी प्रकार भविष्य में प्रीमियम की गणना में सम्मिलित किसी भी मद की राशि में वृद्धि होती है तो पुनरीक्षित प्रीमियम एवं लीजरेंट की राशि के भुगतान का दायित्व आपका एवं संस्था का संयुक्त रूप से तथा पृथक पृथक रूप से रहेगा, किन्तु पुनरीक्षित प्रीमियम एवं लीजरेंट के भुगतान का प्रथमतः दायित्व आप सदस्य का ही रहेगा ।

20. यह कि, उपरोक्त लीजडीड में जहां जहां प्राधिकारी शब्द का प्रयोग किया गया है वहां इन्दौर विकास प्राधिकरण के उत्तराधिकारी का भी समावेश होगा इसी प्रकार लीजगृहिता शब्द में उसके उत्तराधिकारी का भी समावेश है ऐसा माना जावेगा ।

21. प्रीमियम की दर में भविष्य में वृद्धि होने पर उक्त राशि लीजगृहिता को जमा करना होगी, साथ ही तदनुसार अनुपूरक लेख लिखा जावेगा, उस पर मुद्रांक एवं पंजीयक शुल्क अदा करना अनिवार्य होगा ।

.......8......

प्रेमलता

संपदा अधिकारी ग्रेड–2,
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

1223
17/11/2011

21 OCT 2011

देवेन्द्र वाघमारे
स्टॉम्प वेन्डर (M) 9302529300
17, राजस्वग्राम कॉलोनी, छत्रीबाग, इन्दौर

उप पन्जीयक कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

7 - JAN 2012
2319

दस्तावेज क्र. A1/..............(16)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 981793

यह लीजडीड उभय पक्षों के बीच स्वस्थ बुद्धि की अवस्था में स्वेच्छा से संपादित की गई ताकि वक्त जरूरत काम आवें ।

गवाह :–

1 नाम मोहनलाल अग्रवाल
पिता [illegible]
पूर्ण पता 6 नरसिंह बाजार इन्दौर

2 नाम गोविन्द गर्ग
पिता [illegible] गर्ग
पूर्ण पता पी. [illegible] नगर इन्दौर

हस्ताक्षर लीजगृहिता

संपदा अधिकारी

हस्ताक्षर लीजदाता

इन्दौर

संपदा अधिकारी ग्रेड-[illegible]
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

1224
17/11/2011

देवेन्द्र सोनमारे
स्टॉम्प वेन्डर (M) 9302029300
17, राजस्वग्राम कॉलोनी, जवाहर, इन्दौर

07/01/2012

837 9

74 - 82 2319

पंजीयन किया गया।

पंजीयन शुल्क 6375
मुद्रांकन शुल्क 25
योग 6400